

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4620/2021/नागौर हेमराज बनाम नवरतन	नम्बर व तारीख
	<p style="text-align: center;"><b><u>एकलपीठ</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>श्री गणेश कुमार, सदस्य</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>आदेश</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>दिनांक 02.11.2021</b></p> <p>प्रार्थी निगराकार श्री गोविन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित। गैर निगराकार संख्या-1 व 5 की ओर से श्री हरदत्त सहारण एडवोकेट उपस्थित। श्री हरदत्त सहारण एडवोकेट को उक्त निगरानी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया और अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र दो माह में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान करने का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसकी नकल निगराकार अधिवक्ता को दिलाई गयी। बहस सुनी गयी।</p> <p>चूंकि श्री हरदत्त सहारण एडवोकेट का कथन है कि मूल वाद में वे ही वादी है और उन्होंने विवादग्रस्त दस्तावेज को वापस लेने हेतु आवेदन पेश कर दिया है और अन्य शेष गैर निगराकार की तलबी की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी निगराकार अधिवक्ता भी अन्य गैर निगराकार की तलबी बन्द करने पर सहमत है। अतः शेष गैर निगराकार की तलबी बन्द की जाती है। चूंकि श्री हरदत्त सहारण एडवोकेट ने निगरानी स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की है। अतः उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के आदेश दिनांक 25-03-2031 को निरस्त किया जाकर इस आदेश द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को रिकार्ड से हटाने का आदेश दिया जाता है। यथासंभव दो माह में प्रकरण का निस्तारण करें। उपरोक्तानुसार निगरानी स्वीकार की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>( गणेश कुमार )</b> सदस्य</p>	

